

1

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 301/2003

आर.सी.एम.ए.व. नं. :- 2003/00091

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र माडुराम जाति जाट निवासी निनाण हाल डाबडी, तहसील भादरा
2. घनश्याम पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी देईदास हाल डाबडी, तहसील भादरा

— रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 19.07.2003, प्र. सं. 403/2003

भूपेन्द्र वगैरा बनाम सरकार

संस्थिति:-

श्री राजश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

दिनांक 30.9.22

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपील को अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद पेश किया जिमसे कथन किया कि रोही मौजाडाबडी के ख0 नं0 219/2 में 64 बीघा जमीन राजस्व रिकार्ड में गैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मुमकिन चारागाह दर्ज चली आ रही है। उक्त 64 बीघा भूमि में 13 बीघा भूमि इमरती वगैरा की खातेदारी भूमि है तथा 51 बीघों में 31 बीघा भूमि वादीगण के कब्जा की पुरानी भूमि है जो गलत तौर से चारागाह के नाम दर्ज चली आ रही है। इसलिए वादी को उक्त 31 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवे प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. रेस्पोंडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गोचर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे आवंटित नहीं किया जा सकता है। रेस्पोंडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर व न्यायालय को गुमराज कर विधि विरुद्ध तरीके से खतोदारी अधिकार प्राप्त किये हैं जो काबिल अपारस्तनीय है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में जिरह का मौका नहीं दिया गया ना ही वाद में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। रेस्पोंडेण्ट ने वाद पत्र बिना धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत नोटिस दिये पेश किया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अपीलान्ट द्वारा अपील में फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत जमाबंदी गांव डाबड़ी की जमाबन्दी संवत् 2051 प्रस्तुत की गई है। इस जमाबंदी में प्रश्नगत भूमि सिवाय चक नाकाबिल काश्त चारागाह भूमि दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि वादी को खातेदार घोषित करने के समय प्रश्नगत सिवाय चक नाकाबिल काश्त चारागाह भूमि थी, जिसके किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये

Law

राजस्व अपील प्राधिकारी



जा सकते हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी ये प्रतिबंधित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2003 निररस्त किये जाते हैं। तहसीलदार भादरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त कर इस न्यायालय को 7 दिवस में सूचित करें। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 30.9.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



30/9/22
 (करतारसिंह पुनिया)
 राजस्थान अपील अधिकारी
 हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियों आर0ए0एस0

अपील संख्या:- 301/2003

आरसीएमएव नं. :- 2003/00091

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र माडुराम जाति जाट निवासी निनाण हाल डाबड़ी, तहसील भादरा
2. घनश्याम पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी देईदास हाल डाबड़ी, तहसील भादरा

— रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 19.07.2003, प्र. सं. 403/2003

अतएव भूपेन्द्र वगैरा बनाम सरकार

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलांट की ओर से बहस समाप्त की जाकर अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2003 निररस्त किये जाते हैं। तहसीलदार भादरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त कर इस न्यायालय को 7 दिवस में सूचित करें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 30.9.22 को जारी की गई।

Caro
21/9/22
(करतार सिंह पूनियों) आर.ए.एस.
राजस्थान अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

